[2018] 3 एस.सी.आर 583

अब्दुलरसाख

बनाम

के. पी. मोहम्मद और अन्य

(सिविल अपील संख्या 10863/2017)

08 मार्च, 2018

[जे. चेलामेश्वर और संजय किशन कौल, न्यायमूर्तिगण]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 – धारा 81(1), 86 और 123 (4) – प्रत्यर्थी सं.1 और 2 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर दायर निर्वाचन याचिका – रजिस्ट्री से याचिका वापस की गई और उसके बाद फिर से प्रस्तुत किया गया – अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ इस आधार पर चुनाव याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया कि चुनाव याचिका को दायर करने के लिए निर्धारित सीमा समाप्त हो गई थी क्योंकि इसे फिर से प्रस्तुत किया गया था और यह भी कि रजिस्ट्री के पास दोषों को इंगित करने या किसी भी दोष को ठीक करने की अनुमति देने पर चुनाव याचिका को वापस करने की कोई शक्ति नहीं थी–उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज–अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः केरल उच्च न्यायालय के नियम (आर. 210) में न्यायाधीश द्वारा जांच का प्रावधान है न कि रजिस्ट्री द्वारा–इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था–पुनः प्रस्तुत करने पर, याचिका को दोषपूर्ण कहा गया था और रजिस्ट्री पूरी तरह से सचेत थी कि उसके द्वारा बताए गए दोषों को रजिस्ट्री द्वारा ही ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और यही कारण है कि मामले को संबंधित न्यायाधीश के समक्ष एक असंख्या चुनाव याचिका के रूप में रखा गया था–18.7.2016 पर, न्यायाधीश को रजिस्ट्री द्वारा बताई गई कुछ आपत्तियों में योग्यता नहीं मिली और जिस हद तक कुछ मामूली सुधारों की आवश्यकता थी, जो भौतिक नहीं थे, प्रतिवादी Nos.1 और 2 को सुधार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था–रजिस्ट्री के भीतर आवश्यक था।81(1) – केरल उच्च न्यायालय के नियम –210–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –धारा151 और आदेश VI, नियम 16 और आदेश VII, नियम 11–चुनाव कानून।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 –धारा 81 (3)–भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपीलार्थी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका का कथित उल्लंघन–जब नहीं–सीलबंद लिफाफे में मोबाइल फोन पेश किया गया – अपीलार्थी की याचिका कि वह संबंधित भाग की सीडी के अलावा मोबाइल फोन की चिप का हकदार था और उसे सौंपने में विफलता एस का उल्लंघन है।81(3) – आयोजित किया गयाःफोन दाखिल किया गया था और फोन को सीलबंद लिफाफे में रखा गया था या चिप की आपूर्ति न करने का आरोप कथित रूप से एस का उल्लंघन है।81(3) एक याचिका नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है–कम से कम ये सभी मुकदमे के लिए मामले हैं।

चुनाव कानून–चुनाव याचिका की तकनीकीताओं से संबंधित कानून–पर चर्चा की गई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

अभिनिर्धारित किया गया: 1.1 केरल उच्च न्यायालय नियम (नियम 210) स्वयं मामले को सौंपे गए न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए प्रदान करता है न कि रजिस्ट्री द्वारा।इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।[पैरा 14] [593–डी]

1.2 18.7.2016, दिनांकित आदेश के द्वारा मामूली सुधार किए जाने की अनुमति न्यायालय द्वारा दी गई। सही परिप्रेक्ष्य में कार्यालय की टिप्पणियों का मूल्यांकन किये बिना राई का पहाड़ बनाया गया था। रजिस्ट्री इस बात से पूरी तरह अवगत थी कि उसके द्वारा बताए गए आठ दोषों को रजिस्ट्री द्वारा ही ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इसलिए मामले को एक असंख्या चुनाव याचिका के रूप में संबंधित न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। 18.7.2016 को न्यायाधीश को रजिस्ट्री द्वारा इंगित कुछ आपत्तियों में गुणदोष नहीं मिले और जिस हद तक कुछ मामूली सुधारों की आवश्यकता थी, जो महत्वपूर्ण नहीं थे, प्रतिवादी आई. डी. 1 और 2 को सुधार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। आवश्यक कार्य निर्धारित समय के भीतर किया गया और उसके बाद अपीलार्थी को नोटिस जारी किए गए। अपीलार्थी की याचिका का पूरा आधार रजिस्ट्री पर आधारित है जिसमें सुधार करने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार, यह गलत है और इस प्रकार, याचिका की प्रस्तुति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 (1) में निर्धारित समय से परे नहीं कहा जा सकता है।[पारस 15,16] [593–एफ–एच; 594–ए]

2. यह उचित रूप से देखा गया कि फोन जमा किया गया था और फोन को सीलबंद लिफाफे में रखना या चिप की आपूर्ति न करने का आरोप कथित अधिनियम की धारा 81 (3) का उल्लंघन करने वाली याचिका नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है।कम से कम ये सभी मुकदमे के लिए मामले हैं। इसी तरह के दस्तावेजों की प्रतियां अपीलार्थी को दी गई थीं और फोन या चिप (जिसे एक सीलबंद आवरण में रखा जाता है) की कई प्रतियों की आपूर्ति तब अनिवार्य नहीं है जब फोन में निर्भर सामग्री को सीडी में पुनः प्रस्तुत किया गया था और एक प्रतिलेखन भी प्रदान किया गया था। अपीलार्थी के बचाव को किसी भी तरह से बाधित नहीं कहा जा सकता है।[पारस 17,19] [594–सी–डी, जी]

3. चुनाव से संबंधित कानून एक तकनीकी है क्योंकि यह लोगों की इच्छा को निर्धारित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक चुनौती है। किसी भी चुनाव को दरकिनार करने के लिए अदालत में आने वाले एक योग्य व्यक्ति, चाहे वह उम्मीदवार हो या मतदाता, को इस प्रकार, चुनाव याचिका की तकनीकी प्रकृति और उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों को पूरा करना होगा क्योंकि अन्यथा यह सीमा पर ही चुनाव याचिका के लिए घातक होगा।[पैरा 18] [594–ई]

सहोदरबाई राय बनाम राम सिंह अहरवार [1968] 3 एससीआर 13 – प्रतिष्ठित।

मिथिलेश कुमार पांडे बनाम बैद्यनाथ यादव और अन्य।

(1984) 2 एससीसी 1:[1984] 2 एस. सी. आर. 278–पर निर्भर।

सत्य नारायण बनाम धुजा राम और अन्य। (1974) 4 एससीसी 237:[1974] 3 एससीआर 20; एम. करुणानिधि बनाम डॉ. एच. वी. हांडे और अन्य।(1983) 2 एस. सी. सी. 473; यू. एस. शशिधरन बनाम के.

ई.

करुणाकरन और अन्र। (1989) 4 एससीसी 482:[1989] 3 एस. सी. आर. 958–संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[1974] 3 एस. सी. आर. 20 पैरा 10 (1983) 2 एस. सी. सी. 473 पैरा 10 [1989] 3 एस. सी. आर. 958 पैरा 10 [1984] 2 एस. सी. आर. 278 पैरा 10 [1968] 3 एस. सी. आर. 13 विशिष्ट पैरा 16 पर निर्भर करता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2017 की सिविल अपील सं. 10863।

2016 के ई. पी. सं. 8 में 2016 के आई. ए. सं. 20 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 16.06.2017 के निर्णय और आदेश से।डॉ. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, रोमी चाको, जे. शक्ति चंद, वरुण मुद्गल, चंदन कुमार एम, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

कपिल सिब्बल, एस. श्रीकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, ई. एम. एस. अनम, एम. एस. विष्णु शंकर, सुश्री उषा नंदिनी वी., सुश्री अथिरा जी. नायर, श्रीराम पी., अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

तथ्यः

1. 14 वीं केरल विधानसभा के लिए राज्य चुनाव कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया 16.5.2016 पर की गई थी जिसमें अपीलार्थी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में कोडुवल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।परिणाम 19.5.2016 पर घोषित किए गए थे और अपीलार्थी को सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद निर्वाचित घोषित किया गया था।

ग

2. प्रत्यर्थी Nos.1 और 2, जिन्हें एक ही निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता कहा गया था, ने भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर चुनाव याचिकाएं दायर कीं।अपीलार्थी के चुनाव को चुनौती लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 123 (4) के तहत दी गई थी,

जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने प्रतिवादी संख्या 3, एक उम्मीदवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे, जो जानते थे कि यह गलत है।उक्त अधिनियम की धारा 123 (4) निम्नानुसार हैः"123. भ्रष्ट आचरण।– निम्नलिखित को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट प्रथा माना जाएगाः– –प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है –

3. कहा जाता है कि चुनाव याचिका 1.7.2016 पर दायर की गई थी जिसमें कुछ दोषों को इंगित किया गया था।यह अपीलार्थी का मामला है कि याचिका रजिस्ट्री से वापस की गई थी और केवल 11.7.2016 पर फिर से प्रस्तुत की गई थी, उस समय तक ऐसी चुनाव याचिका दायर करने के लिए 45 दिनों की सीमा की निर्धारित अवधि A.

3.7.2016 और, इस प्रकार, चुनाव याचिका पर समय की पाबंदी लगा दी गई।अपीलार्थी का यह भी कहना है कि रजिस्ट्री के पास चुनाव याचिका को वापस करने या किसी भी दोष को ठीक करने की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं थी।यहां तक कि पुनः प्रस्तुत करने पर भी, याचिका को दोषपूर्ण बताया गया है और इसे केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने 18.7.2017 के आदेश द्वारा प्रतिवादी Nos.1 और 2 को दोषों को ठीक करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।इसके बाद अपीलार्थी सहित चुनाव याचिका में सभी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया था।

4. उपर्युक्त दो आधारों और उससे अधिक के कारण अपील ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'उक्त संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 151 और आदेश VI नियम 16, आदेश VII नियम 11 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 86 के तहत चुनाव याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया।संबंधित प्रावधान, जो उक्त अधिनियम की धारा 86 (1) है, निम्नानुसार हैः

ग

"86. चुनाव याचिकाओं का परीक्षण।– (1) उच्च न्यायालय करेगा

एक चुनाव याचिका को खारिज करें जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है।"

डी.

5. हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा दायर आपत्तियों को केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.6.2017 के विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

ई.

अपीलार्थी की दलीलेंः

6. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने याचिका के समय से परे होने के अपने मामले को स्पष्ट करने के लिए उच्च न्यायालय के कार्यालय नोटिस पत्रों का उल्लेख किया।उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि जहां चुनाव याचिका को 1.7.2016 पर प्रस्तुत किया गया था, वहीं इसमें "ई. पी. दायर" का भी उल्लेख किया गया था:11.07.16".समन जारी करने की तिथि 9.8.2016 है।उन्होंने उस टिप्पणी का भी उल्लेख किया जिसमें आठ दोषों की गणना की गई थी और उसके नीचे, मूल याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील का इस आशय का समर्थन था कि बिना किसी तारीख के "दोष ठीक" हो गया और उप–पंजीयक का दिनांक 7.7.2016 का समर्थन था।उन्होंने इन समर्थनों से जो निष्कर्ष निकाला, वह रजिस्ट्री के समक्ष याचिका को अदालत के समक्ष रखे बिना प्रस्तुत करना और फिर से प्रस्तुत करना था।7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अध्याय में निहित उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया

उक्त अधिनियम का द्वितीय और अपीलार्थी द्वारा दायर आपत्तियों के संदर्भ में उसी के साथ मिलने के लिए एक चुनाव याचिका के लिए जनादेश।संबंधित प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"81. याचिकाओं की प्रस्तुति।— (1) एक चुनाव याचिका का आह्वान

प्रश्नगत रूप से कोई भी चुनाव धारा 100 की उप–धारा (1) और धारा 101 में निर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधारों पर [उच्च न्यायालय में] किसी भी उम्मीदवार द्वारा ऐसे चुनाव में या किसी भी निर्वाचक द्वारा [लौटे उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, लेकिन उससे पहले नहीं, या यदि चुनाव में एक से अधिक लौटे उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव की तारीखें अलग हैं, तो उन दो तिथियों के बाद में] प्रस्तुत किया जा सकता है।"

ग

XXXXXXXXXXXXXXX

"[(3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उतनी ही प्रतियां होंगी जितनी याचिका में उल्लिखित प्रतिवादी हैं, और ऐसी प्रत्येक प्रति को याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत याचिका की सही प्रति होने के लिए सत्यापित किया जाएगा।]"

डी.

8. रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोष इस प्रकार हैं:

"आई. आर. पी. अधिनियम की धारा 80 ए चुनाव याचिका में दिखाया गया प्रावधान नहीं है।

ii.पृष्ठ 28 और 29 को पहले सेट में ठीक से टैग नहीं किया गया है।

ई.

iii.अनुलग्नक बी, सी, जी और एल के रूप में उत्पादित मोबाइल फोन और अनुलग्नक एच, एम और ओ के रूप में उत्पादित कॉम्पैक्ट डिस्क सीलबंद लिफाफों में हैं, जिनकी जांच नहीं की जा सकती है।

iv.मोबाइल फोन और सी. डी. जो भौतिक वस्तुएँ हैं, उन्हें अनुलग्नक के रूप में चिह्नित किया गया है।

च

v. अनुलग्नक बी, सी, जी और एल (मोबाइल फोन), जिसे प्रतियों में किए गए सत्यापन में "प्रस्तुत नहीं किया जा सकता" कहा गया है।

vi)पृष्ठ 57 जो अनुलग्नक के का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे अनुलग्नक के–1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसे अनुलग्नक एच. VII का अंग्रेजी अनुवाद बताया गया है।पी 35 (अनुलग्नक ई/5) में दिखाई देने वाली अंतिम चार पंक्तियों का कोई अंग्रेजी अनुवाद पी 39 में पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अनुलग्नक ई का अंग्रेजी अनुवाद है।

जी.

viii.चुनाव याचिका की अतिरिक्त प्रतियों में से एक में अनुलग्नक क्यू दो बार प्रस्तुत किया जाता है।"

9. विद्वान वकील ने हमें अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित आपत्तियों के माध्यम से लिया, जिसका कोई जवाब प्रत्यर्थी Nos.1 & द्वारा दायर नहीं किया गया है।2. वास्तव में आपत्तियों के संदर्भ में हमारे समक्ष जो प्रचार करने की मांग की गई थी, वह इस प्रकार हैः

आई. चुनाव याचिका समय द्वारा वर्जित है क्योंकि इसे 3.7.2016 के समक्ष सभी दोषों से मुक्त प्रस्तुत किया जाना था।दोषों को ठीक कर दिया गया और याचिका को 11.7.2016 पर फिर से प्रस्तुत किया गया।

ii.कि रजिस्ट्री में चुनाव याचिका को वापस करने और फिर से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चुनाव अदालत की प्रक्रिया के लिए अलग है।iii. सीलबंद लिफाफे में दस्तावेजों को पेश करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और स्वीकार्य नहीं है।सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत वस्तुओं की पूरी सामग्री को सौंपने में विफलता उक्त अधिनियम की धारा 81 (3) का उल्लंघन है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।अपीलार्थी संबंधित भाग की सीडी के अलावा मोबाइल फोन की चिप का हकदार था, जिसे बाद वाले को सौंप दिया गया था।इस तरह का अवमूल्यन अपीलार्थी के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा क्योंकि वह पूरी सामग्री को जानने के अवसर से वंचित है।

iv.चुनाव याचिका के साथ दायर मूल पृष्ठ 57 को प्रतिस्थापित करके दोषों को दूर कर दिया गया है और यह पूर्व दिनांकित है क्योंकि कागजात पर 1.7.2016 के बाद हस्ताक्षर किए गए हैं।

v. अनुलग्नक ई–1 अधूरा था और अनुलग्नक ई का सही अंग्रेजी अनुवाद नहीं था।

10. प्रस्तुत की गई दलीलों को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने उन पहलुओं से संबंधित न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख किया जो वह स्पष्ट करना चाहते थे।उन्हीं के बारे में नीचे बताया गया है:

i. सत्य नारायण बनाम धुजा राम और अन्य। 1–यह देखा गया कि

उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में, उच्च न्यायालय के नियम पंजीयक या उप–पंजीयक को उक्त अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि से परे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत चुनाव याचिका में सुधार या दोषों को हटाने की अनुमति देने की कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं।

जी.

ii.सहोदरबाई राय बनाम राम सिंह अहरवार 2–दिए गए तथ्यों में

मामले की सुनवाई कर रहे विद्वान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के उप–पंजीयक के पाठक की उपस्थिति का आदेश दिया

1 (1974) 4 एससीसी 237 (पैरा 14) 2 (1968) 3 एससीआर 13

अदालत, जिसने चुनाव याचिका पर सुनवाई की थी और उससे अदालत के गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में इसी तरह के पाठ्यक्रम का पालन किया जाना चाहिए जब प्रस्तुति और पुनः प्रस्तुति के बारे में संदेह और आरोप थे जैसा कि कार्यालय के नोटों से स्पष्ट था।

iii.एम. करुणानिधि बनाम डॉ. एच. वी. हांडे और अन्य। 3 (पैरा 29) –

बैनरों की कीमत से संबंधित विशेष विवाद और यह कहा गया था कि इसका गलत उल्लेख किया गया था क्योंकि दो चुनावी बैनर थे–उनमें से एक सड़क के बाईं ओर एक विशाल फैंसी बैनर या होर्डिंग था और दूसरा दाईं ओर एक छोटा चुनावी बैनर था।अपीलार्थी दोनों बैनरों में दोनों समूहों के चित्रण में मौजूद था।फैंसी बैनर की एक तस्वीर दायर की गई थी लेकिन उसकी प्रति प्रदान नहीं की गई थी।इसे याचिका के लिए घातक माना गया।

इसमें प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 के तर्क की सराहना करने के लिए, यह कहा गया था कि उन्हें अपीलार्थी को उचित तस्वीर प्रदान करने की आवश्यकता थी, जबकि केवल एक काली और सफेद फोटोकॉपी प्रदान की गई थी।

iv.यू. एस. शशिधरन बनाम के. करुणाकरन और अन्र। 4 (पैरा 14 और

32) – चुनाव याचिका के साथ वीडियो कैसेट की आपूर्ति न करने से संबंधित विवाद की जांच की गई और वीडियो कैसेट को चुनाव याचिका का एक अभिन्न अंग होने के कारण, प्रतिलिपि प्रस्तुत न करना घातक माना गया।

v. मिथलेश कुमार पांडे बनाम बैद्यनाथ यादव और अन्य। 5.

(पैरा 11 &15) – इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस आरोप से उत्पन्न विवाद की जांच की कि लौटे उम्मीदवार को दी गई प्रति वास्तव में एक वास्तविक प्रति नहीं थी।उक्त संदर्भ में सिद्धांत पैरा 15 में निम्नानुसार निर्धारित किए गए थेः

च

"15. इस विषय पर कानून पर सावधानीपूर्वक विचार और जांच करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैंः

(1) कि जहाँ वापस भेजे गए उम्मीदवार को दी गई चुनाव याचिका की प्रति में केवल लिपिकीय या टंकण संबंधी गलतियाँ हैं जिनका कोई परिणाम नहीं है, याचिका को अधिनियम की धारा 86 के तहत सीधे खारिज नहीं किया जा सकता है।

3 (1983) 2 एससीसी 473 4 (1989) 4 एससीसी 482 5 (1984) 2 एससीसी 1 ए

(2) एक सही प्रतिलिपि का अर्थ है एक ऐसी प्रतिलिपि जो पूरी तरह से और काफी हद तक मूल के समान है और जहां मामूली या न्यूनतम गलतियाँ हैं, न्यायालय उस पर ध्यान नहीं दे सकता है।

(3) जहां प्रति में महत्वपूर्ण प्रकृति की महत्वपूर्ण चूक या विसंगतियां हैं, जो लौटने वाले उम्मीदवार के बचाव के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 81 (3) के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया है।

(4) प्रथम दृष्टया, कानून "वास्तविक प्रतिलिपि" शब्दों का उपयोग करता है और पर्याप्त अनुपालन की अवधारणा को गंभीर या महत्वपूर्ण गलतियों को शामिल करने के लिए बहुत दूर नहीं बढ़ाया जा सकता है जो एक वास्तविक प्रतिलिपि के चरित्र को छोड़ देते हैं ताकि वापस किए गए उम्मीदवार को दी गई प्रतिलिपि को अधिनियम की धारा 81 (3) के अर्थ के भीतर एक वास्तविक प्रतिलिपि नहीं कहा जा सकता है, और

(5) चूंकि धारा 81 (3) पवित्र चुनावी प्रक्रिया की रक्षा और सुरक्षा के लिए है ताकि मतदाताओं के फैसले में खलल न पड़े, इसलिए उक्त धारा के प्रावधानों की उदार या व्यापक व्याख्या को माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

उपरोक्त संदर्भ में, यह कहा गया था कि प्रतिवादी Nos.1 और 2 द्वारा प्रदान किए गए अनुवादों का कोई मतलब नहीं था और मूल चिप तक पहुंच आवश्यक है क्योंकि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप उम्मीदवारों में से एक के खिलाफ झूठे आरोप लगाने में मिलीभगत का है।

उत्तरदाता Nos.1 और 2 की दलीलें:

11. दूसरी ओर, श्री कपिल सिब्बल, सीमा पर पहले दो उत्तरदाताओं (उच्च न्यायालय में मूल याचिकाकर्ताओं) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वयं कहा कि उन्हें अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए सभी कानूनी प्रस्तावों या उपरोक्त संदर्भित न्यायिक घोषणाओं के साथ कोई विवाद नहीं है, हालांकि, जो प्रचार करने की मांग की गई थी, वह वास्तव में जो हुआ है उसका गलत प्रतिनिधित्व था।इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक बार फिर टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ई. पी. का उल्लेख दायर किया गया है:11.07.16" यह स्पष्ट रूप से एक गलती है क्योंकि निर्विवाद रूप से चुनाव याचिका 1.7.2016 पर प्रस्तुत की गई थी।उप–पंजीयक के समर्थन से पता चलता है कि जांच 5.7.2016 पर हुई थी।ऊपर उल्लिखित आठ दोषों का उल्लेख किया गया था 7.7.2016 जिसके बाद याचिका को एक असंख्या चुनाव याचिका के रूप में 18.7.2016 पर विद्वान न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था।विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि कार्यालय द्वारा उल्लिखित दोष उक्त अधिनियम के तहत याचिका को सीमित रूप से अस्वीकार करने के लिए भौतिक दोष नहीं हैं (मापदंडों को मिथलेश कुमार पांडे 6 में निर्धारित किया गया है)।यह भी ध्यान दिया जाता है कि यह सवाल कि क्या सी. डी. को भौतिक वस्तुओं या प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जाना है, परीक्षण के समय विचार किया जा सकता है और चूंकि प्रत्येक प्रति के साथ मोबाइल फोन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए फोन में सामग्री की प्रतियां जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करना चाहता है, चुनाव याचिका की प्रति के साथ प्रस्तुत की गई हैं।पक्षकारों के उपस्थित होने के बाद इसकी पर्याप्तता पर विचार किया जा सकता है।प्रार्थना के अनुसार मामूली दोषों को ठीक करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था।इसके बाद दोषों को निर्दिष्ट समय के भीतर ठीक कर दिया गया और प्रतिवादी Nos.1 & के वकील द्वारा समर्थन किया गया।2.

12. हमने 16.6.2017 पर पारित विवादित निर्णय की भी जांच की है, जो सहायक मामले कानून के साथ एक विस्तृत निर्णय है।सोलह मुद्दे तैयार किए गए जिनमें से अपीलार्थी ने 7 तक के मुद्दे के संबंध में प्रारंभिक सुनवाई का दावा किया।प्रारंभिक मुद्दों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"1. क्या चुनाव याचिका पर प्रतिबंध है?

2. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के बाद चुनाव याचिका में दोषों को ठीक करने की अनुमति दी जा सकती है?

3. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के बाद दोषों को ठीक करने के लिए याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका वापस की जा सकती है?

4. क्या इस न्यायालय में प्रतिनिधित्व में देरी को माफ करने की अनुमति देने की शक्ति है जब चुनाव याचिका प्रस्तुत करने में मूल देरी को ही माफ करने की अनुमति नहीं है और जब किसी भी देरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है?

5. क्या सीमा की अवधि के बाद चुनाव याचिका में किए गए दोषों को ठीक करने और सुधारों का संबंध इसकी प्रस्तुति की तारीख से होगा?

6. क्या दोषों को ठीक किया गया है और प्रस्तुत करने के बाद चुनाव याचिका में किए गए सुधार अनुमत हैं और इसके अनुपालन में हैं

अब्दुलरासाख बनाम के. पी. मोहम्मद और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।] ए.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 81 और 83 में प्रदान की गई अनिवार्य आवश्यकताएँ? 7. क्या चुनाव याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और कानून की अन्य आवश्यकताओं की धारा 81,82,83 और 117 में प्रदान की गई अनिवार्य आवश्यकताओं के गैर–अनुपालन के लिए बनाए रखने योग्य है? "

13. विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब अभिलेख की जांच करने पर राय दी कि रजिस्ट्री ने 1.7.2016 पर याचिका प्रस्तुत करने के बाद याचिका को पहले दो उत्तरदाताओं को वापस नहीं किया था, बल्कि सही प्रथा के अनुसार पीठ के समक्ष तैनात किया गया था, जिसने आपत्तियों से निपटने का आदेश पारित किया।मामूली दोषों को ठीक करने पर, अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था।

14. केरल उच्च न्यायालय नियम (नियम 210) ने स्वयं मामले को सौंपे गए न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए प्रावधान किया है न कि रजिस्ट्री द्वारा।इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।18.7.2016 के बाद ही दोषों को ठीक किया गया।मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की गई बातचीत की सामग्री को अनुलग्नक और सीडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और मोबाइल फोन स्वयं तैयार किए गए थे।इस प्रकार, साक्ष्य की स्वीकार्यता के प्रश्न की जाँच मुकदमे के चरण में की जानी चाहिए।इसी तरह एक तस्वीर की फोटोकॉपी केवल मोबाइल फोन से ली गई एक प्रति हो सकती है और इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वास्तव में मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की गई सामग्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जो फिर से सबूत का विषय था।

निष्कर्षः

15. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों की जांच की है और अपील में कोई योग्यता नहीं पाई है।दिनांकित 18.7.2016 आदेश के माध्यम से किए जाने की अनुमति वाले मामूली सुधार न्यायालय द्वारा किए जाते हैं।वास्तविक परिप्रेक्ष्य में कार्यालय की टिप्पणियों की सराहना किए बिना एक तिल से बाहर एक पहाड़ बनाया गया है।रजिस्ट्री इस बात से पूरी तरह अवगत थी कि उसके द्वारा बताए गए आठ दोषों को रजिस्ट्री द्वारा ही ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इसलिए मामले को एक असंख्या चुनाव याचिका के रूप में संबंधित न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था।18.7.2016 पर, विद्वान न्यायाधीश को रजिस्ट्री द्वारा इंगित कुछ आपत्तियों में योग्यता नहीं मिली और जिस हद तक कुछ मामूली सुधारों की आवश्यकता थी, जो भौतिक नहीं थे, प्रतिवादी Nos.1 और 2 को सुधार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।आवश्यक कार्य निर्धारित समय के भीतर किया गया था और इसके बाद अपीलार्थी को नोटिस जारी किए गए थे।

16. अपीलार्थी की याचिका का पूरा आधार रजिस्ट्री पर आधारित है जिसमें सुधार करने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार, यह गलत है और इस प्रकार, याचिका की प्रस्तुति को उक्त अधिनियम की धारा 81 (1) में निर्धारित समय से अधिक नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, इन तथ्यों में वास्तव में न्यायालय के लिए रजिस्ट्री अधिकारी से पूछताछ करने का कोई अवसर नहीं था जैसा कि किया गया था।

सहोदरबाई राय 7 के मामले में।

17. प्रतियों की आपूर्ति के मुद्दे को भी एक प्रतिलेख की प्रतियों के रूप में उचित रूप से निपटाया गया है और सीडी की आपूर्ति के साथ–साथ उसका अनुवाद भी किया गया है।यह सत्यापित करने का चरण नहीं है कि क्या अनुवाद जो कहा गया था उसे सही ढंग से दर्शाता है।किसी भी मामले में यह एक संदिग्ध प्रस्ताव होगा कि क्या यह अनिवार्य किया गया था कि एक अनुवाद भी दायर किया जाना चाहिए जो संभवतः उच्च न्यायालय के नियमों की आवश्यकता का एक हिस्सा है क्योंकि रिकॉर्ड अंग्रेजी में होना चाहिए।यह उचित रूप से देखा गया है कि फोन दायर किया गया है और फोन को सीलबंद लिफाफे में रखना या कथित चिप की आपूर्ति न करने का आरोप उक्त अधिनियम की धारा 81 (3) का उल्लंघन करने वाली याचिका नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है।कम से कम ये सभी मुकदमे के लिए मामले हैं।

18. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि चुनाव से संबंधित कानून एक तकनीकी है क्योंकि यह लोगों की इच्छा को निर्धारित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक चुनौती है।किसी भी चुनाव को दरकिनार करने के लिए अदालत में आने वाले एक योग्य व्यक्ति, चाहे वह उम्मीदवार हो या मतदाता, को इस प्रकार, चुनाव याचिका की तकनीकी प्रकृति और उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों को पूरा करना होगा क्योंकि अन्यथा यह सीमा पर ही चुनाव याचिका के लिए घातक होगा।इन परिस्थितियों में ही मिथलेश कुमार पांडे 8 में सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है।उस मामले में टिप्पणियों में लिपिकीय और टंकण संबंधी त्रुटियों को ठीक करने का प्रावधान है।इस प्रकार,

अनुलग्नकों की सही संख्या का उल्लेख या फ़ाइल के साथ टैग करना आदि जैसे मुद्दे सभी उक्त धारा के अंतर्गत आते हैं।

19. इसी तरह दस्तावेजों की प्रतियां अपीलार्थी को प्रदान की गई हैं और फोन या चिप (जिसे एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया है) की कई प्रतियां तब आपूर्ति करने के लिए अनिवार्य नहीं हैं जब फोन में निर्भर सामग्री को सीडी में पुनः प्रस्तुत किया गया हो और एक प्रतिलेखन भी प्रदान किया गया हो। अपीलार्थी के बचाव को किसी भी तरह से बाधित नहीं कहा जा सकता है।

अब्दुलरासाख बनाम के. पी. मोहम्मद और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

20. इस प्रकार, हमारा स्पष्ट विचार है कि अपीलार्थी की ओर से दायर याचिकाएं निरर्थक हैं और खारिज किए जाने के योग्य हैं।21. तदनुसार अपील को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज की जाती है।